राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

डा0 मो0 सज्जाद अहमद
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, प0क0

पत्रांक : SHSB/GA/1549/15/......571

सेवा में,
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांकः 09/05/17

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए योग्य दम्पत्ति सर्वेक्षण (Eligible Couple Survey) करने एवं योग्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराने संबंध में।
प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 193 दिनांक 19.04.2017

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र 193 दिनांक 19.04.2017 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए RCH Register के खण्ड 1 के EC- 1 में योग्य दम्पत्ति का सर्वेक्षण करने हेतु निदेशित है।

योग्य दम्पत्ति सर्वेक्षण उपरान्त सभी योग्य दम्पत्तियों को विभिन्न मंच यथा VHSND, गृह भ्रमण इत्यादि का उपयोग करते हुये परिवार नियोजन सेवाओं पर विस्तृत चर्चा किया जाना जन हित में आवश्यक है। जिसके अन्तर्गत Basket of Choices को सही रूप से क्रमबद्ध करते हुये क्रियान्वित किया जा सकता है, जिससे गुणवत्तापूर्वक गुणात्मक वृद्धि की संभावना है।

योग्य दम्पत्तियों को विभिन्न मंच VHSND, गृह भ्रमण इत्यादि का उपयोग करते हुये परिवार नियोजन सेवाओं का लाभार्थियों के इच्छानुसार सेवा उपलब्ध कराने के उपरान्त ए0एन0एम0 द्वारा **RCH Register** के **EC-2/2A** एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर उपलब्ध **"गर्भनिरोधक साधनों का वितरण रजिस्टर"** में तथा आशा द्वारा **''होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव स्कीम''** अन्तर्गत वितरण के नये प्रपत्र में संधारण किया जाना है।

इसी क्रम में परिवार नियोजन गर्भनिरोधक के बेहतर प्रबंधन/प्रक्रिया निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1. आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान **''परिवार नियोजन साधन : आशा विवरणिका''** के माध्यम से योग्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के संसाधनों के बारे में जानकारी देगीं। लाभार्थी के इच्छा एवं मांग के अनुरूप लघुकालीन व्यवस्था के तहत् अस्थाई सुविधा अपनाने हेतु इच्छुक है तो आशा होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव स्कीम (समाजिक विपणन) के तहत उपलब्ध कराये गये Condom (निरोध) , OCP (माला–एन) एवं ECP (ईजी) में से मांग के अनुसार लाभार्थी को उपलब्ध करायेगीं एवं **''होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव स्कीम''** प्रपत्र में अंकित कर लेंगी। इच्छुक लाभार्थी को अस्थाई उपाय के चयन में कठिनाई अथवा संशय की स्थिति में VHSND Site पर ए0एन0एम0 परामर्श के माध्यम से संशय को निस्तारित करेगीं एवं ए0एन0एम0 अपने पास से लाभार्थी के द्वारा चयनित अस्थाई उपाय के लिए संबंधित गर्भनिरोधक उपलब्ध करायेगीं तथा **गर्भनिरोधक साधनों का वितरण रजिस्टर** में अंकित करेंगीं।

   इसके लिए जरूरी होगा कि VHSND स्थल पर ए0एन0एम0 उचित संख्या में गर्भनिरोधक सामग्री साथ ले जायें। गर्भनिरोधकों को इस प्रबंधन के माध्यम से योग्य दम्पत्तियों तक सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु यह अत्यन्त ही आवश्यक होगा कि गर्भनिरोधक के Supply Chain Management को हर स्तर पर और बेहतर किया जाय।
2. अगर योग्य दम्पत्ति अन्य परिवार नियोजन साधन (Basket of Choice) के तहत् दीर्घकालीन अस्थाई उपाय यथा IUCD (PPIUCD, PAIUCD सहित) हेतु इच्छुक है तो आशा के सहयोग से VHSND Site पर ए0एन0एम0 संबंधित लाभार्थी को परामर्शीत करेगीं। परामर्श के पश्चात् लाभार्थी

दीर्घकालीन अस्थाई उपाय को चयनित कर लेती है तो चिन्हित संस्थान के ए0एन0एम0 / स्टॉफ नर्स / चिकित्सक के माध्यम से उक्त सुविधा को प्राप्त करने में आशा सहयोग करेगीं।

लाभार्थी को IUCD Card प्राप्त करने तथा उसके अनुसार Follow-up में भी आशा मदद करेगीं।

3. योग्य दम्पत्ति का परिवार पूर्ण हो गया हो एवं वो स्थाई सुविधा (महिला–बंध्याकरण / पुरूष–नसबंदी) अपनाने हेतु इच्छुक है तो लाभार्थी को स्थाई उपाय के तहत् दी जाने वाली सुविधा यथा बंध्याकरण (प्रसव के उपरान्त बंध्याकरण सहित), पुरूष नसबंदी (NSV) के बारे में आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान एवं ए0एन0एम0 VHSND Site के माध्यम से जानकारी देंगी एवं संतुष्ट होने के उपरान्त स्थाई उपाय हेतु स्वास्थ्य संस्थान के चयन में मदद करेंगी । ए0एन0एम0 एवं आशा द्वारा बंध्याकरण / नसबंदी हेतु चिन्हित लाभार्थियों की सूचना (Pre-registration) Fixed day के पूर्व अपने संबंधित संस्थान के MoIc / BCM/BHM को सूचित करेगीं। बंध्याकरण / नसबंदी सेवा हेतु निर्धारित दिवस (Fixed Day Services) के दिन आशा चयनित संस्थान पर लाभार्थी को अपने साथ लाते हुये उक्त सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगीं।

लाभार्थियों को ऑपरेशन उपरान्त **निर्देश कार्ड** प्राप्त करने एवं उसके अनुसार Follow-up में आशा मदद करेगीं तथा **बंध्याकरण / नसबंदी प्रमाण–पत्र** प्राप्त करने में भी सहयोग देगीं।

4. Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई लाभार्थी या लाभार्थी के परिजन आते है तो ए0एन0एम0 एवं आशा इस बात की जानकारी संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / अधीक्षक, स्वास्थ्य / अस्पताल प्रबंधक एवं प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) को देगीं तथा लाभार्थी / संबंधित परिजन को FPIS अन्तर्गत दावा करने में सहयोग देगीं।

उपरोक्त प्रबंधन को क्रियान्वित करने के लिए यह जरूरी होगा कि आशा दिवस / सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं पर ए0एन0एम0 एवं आशा के साथ चर्चा किया जाय तथा संबंधित प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करायें। साथ ही ए0एन0एम0 एवं आशा को गर्भनिरोधकों की समुचित मात्रा नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन में आपका सहयोग अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

09/5/17

(डा0 मो0 सज्जाद अहमद)

दीर्घकालीन अस्थाई उपाय को चयनित कर लेती है तो चिन्हित संस्थान के ए०एन०एम० / स्टॉफ नर्स / चिकित्सक के माध्यम से उक्त सुविधा को प्राप्त करने में आशा सहयोग करेगीं।

लाभार्थी को IUCD Card प्राप्त करने तथा उसके अनुसार Follow-up में भी आशा मदद करेगीं।

3. योग्य दम्पत्ति का परिवार पूर्ण हो गया हो एवं वो स्थाई सुविधा (महिला–बंध्याकरण / पुरूष–नसबंदी) अपनाने हेतु इच्छुक है तो लाभार्थी को स्थाई उपाय के तहत् दी जाने वाली सुविधा यथा बंध्याकरण (प्रसव के उपरान्त बंध्याकरण सहित), पुरूष नसबंदी (NSV) के बारे में आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान एवं ए०एन०एम० VHSND Site के माध्यम से जानकारी देंगी एवं संतुष्ट होने के उपरान्त स्थाई उपाय हेतु स्वास्थ्य संस्थान के चयन में मदद करेंगी । ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा बंध्याकरण / नसबंदी हेतु चिन्हित लाभार्थियों की सूचना (Pre-registration) Fixed day के पूर्व अपने संबंधित संस्थान के MoIc / BCM/BHM को सूचित करेगीं। बंध्याकरण / नसबंदी सेवा हेतु निर्धारित दिवस (Fixed Day Services) के दिन आशा चयनित संस्थान पर लाभार्थी को अपने साथ लाते हुये उक्त सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगीं।

लाभार्थियों को ऑपरेशन उपरान्त **निर्देश कार्ड** प्राप्त करने एवं उसके अनुसार Follow-up में आशा मदद करेगीं तथा **बंध्याकरण / नसबंदी प्रमाण–पत्र** प्राप्त करने में भी सहयोग देगीं।

4. Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई लाभार्थी या लाभार्थी के परिजन आते है तो ए०एन०एम० एवं आशा इस बात की जानकारी संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / अधीक्षक, स्वास्थ्य / अस्पताल प्रबंधक एवं प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) को देगीं तथा लाभार्थी / संबंधित परिजन को FPIS अन्तर्गत दावा करने में सहयोग देगीं।

उपरोक्त प्रबंधन को क्रियान्वित करने के लिए यह जरूरी होगा कि आशा दिवस / सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं पर ए०एन०एम० एवं आशा के साथ चर्चा किया जाय तथा संबंधित प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करायें। साथ ही ए०एन०एम० एवं आशा को गर्भनिरोधकों की समुचित मात्रा नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन में आपका सहयोग अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

ह० / –

(डा० मो० सज्जाद अहमद)

ज्ञापांकः 571 **पटना, दिनांकः** 09/05/17

प्रतिलिपिः

1. सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ समर्पित।
2. अपर सचिव–सह–अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ समर्पित।
3. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी ACMO/जिला नोडल पदाधिकारी, परिवार कल्याण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. टीम लीडर, ARC, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
7. निदेशक, SRU, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त प्रबंधन के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधिनस्त DRU को निदेशित करना चाहेंगे।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, Jhpiego एवं PFI को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त प्रबंधन के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधिनस्त सलहाकारों को निदेशित करना चाहेंगे।

09/5/17

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी